

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-01/2016/.....38..... /पटना, दिनांक 27.03.17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),

निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया, भागलपुर, शिवहर, सहरसा, पूर्णियाँ, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण एवं दरभंगा।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय के वहन हेतु मुख्य शीर्ष-3454 के उपशीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अन्तर्गत कुल ₹ 29,54,600/- (उन्नतीस लाख चौवन हजार छः सौ) रुपये का अतिरिक्त आबंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-09/2014-2793/वी० दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट में प्रावधानित राशि से योजना/गैर योजना मद में राशि आबंटित/व्यय किया जा सकता है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत आबंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०- 35 एवं विपत्र कोड- N/3454022040002 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 10 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आबंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आबंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आबंटित राशि के अधीन रखी जाय - इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

 

7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित पत्रांक- एम-4-09/2014-2793 दिनांक 04.04.2016 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

*[Signature]*  
बजट  
सहायक

*[Signature]*  
प्रशाखा  
पदा०

*[Signature]*  
सहायक निदेशक

*[Signature]*  
वरीय संयुक्त निदेशक

विश्वासभाजन

*[Signature]*  
निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक ..... 38 ...../पटना, दिनांक 27-03-17

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*[Signature]*  
निदेशक

ज्ञापांक ..... 38 ...../पटना, दिनांक 27-03-17

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना  
2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
निदेशक

ज्ञापांक ..... 38 ...../पटना, दिनांक 27-03-17

- प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।  
2. संयुक्त निदेशक (योजना)/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।  
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।  
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

*[Signature]*  
निदेशक



आर्बटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, 0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 का अतिरिक्त आर्बटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-N/3454022040002

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आर्बटन दिया जा रहा है।	01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01	11-01	13-01	13-02	13-03	13-04	13-05	13-06	14-01	16-01	20-03	28-01	कुल योग
		वेतन	विशेष वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	विकित्ता भत्ता	अन्य भत्ता		चि0 प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	विधि प्रभार	वर्दी/ पोशाक	किराया महसूल एवं कर	प्रकाशन एवं मुद्रण	प्रशिक्षण व्यय	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	
1	अर्थ एवं सांख्यिक निदेशालय	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	-	-	-	-	150000	-	-	-	-	-	-	200000
जिला सांख्यिकी कार्यालय																						
2	गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35000	35000
3	भागलपुर	52000	-	62000	5200	-	1400	-	120600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120600
4	शिवहर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30000	30000
5	सहरसा	1000000	-	1310000	100000	-	10000	-	2420000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30000	2450000
6	पुर्णिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30000	30000
7	कटिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000
8	पूर्वी चम्पारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23000	23000
9	प० चम्पारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35000	35000
10	दरभंगा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214000	2954600
कुल योग:-		1052000	0	1372000	105200	0	11400	0	2540600	50000	-	-	-	-	150000	-	-	-	-	-	-	2954600

(उन्तीस लाख चौवन हजार छः सौ रुपये मात्र)

बजट सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक निदेशक

वरीय संयुक्त निदेशक

निदेशक  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

9/11/17